वित्तीय स्वीकृति

संख्या-32/2016/1145/52-3-16-बजट(11)/2016

प्रेषक,

श्रीप्रकाश सिंह,
सचिव,
उ0प्र0 □□□□

सेवा में,

□□□□,
अल्पसंख्यक कल्याण उ0प्र0
□□□□□

अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-3, □□□□: दिनांक 12 □□□□, 2016

विषयः-वित्तीय वर्ष 2016-17 में अल्पसंख्यक समुदाय के निर्धन/गरीब अभिभावकों की पुत्रियों के विवाह हेतु अनुदान की स्वीकृति के संबंध में। (□□□□□□□)

□□□□,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्त (आय-व्ययक) □□0-1 के कार्यालय ज्ञाप 0-1/2016/□□-1-746/□□-2016-231/2016, दिनांक 22.03.2016 के प्रस्तर-2(4) में दी गयी व्यवस्था के अनुसार चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय व्ययक में अल्पसंख्यक समुदाय के निर्धन/गरीब अभिभावकों की पुत्रियों के विवाह हेतु आयोजनागत पक्ष में प्राविधानित धनराशि रू0 82,45,00,000/-(रू0 □□□□ □□□ □□□□ □□ मात्र) के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में रू0 25,00,00,000/- (रू0 पच्चीस करोड़ मात्र) निम्नांकित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय करने हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1- कोषागार से धनराशि का आहरण मासिक आवश्यकता के अनुसार किया जायेगा तथा धनराशि को आहरित कर बैंक/डाकघर में जमा नहीं किया □□□□

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

2- उक्त स्वीकृत धनराशि से केवल योजनान्तर्गत पात्र बालिकाओं को ही धनराशि का भुगतान किया जायेगा। किसी भी दशा में उक्त धनराशि से किसी अन्य मद में पुनर्विनियोग नहीं किया जायेगा।

3- उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय इस संबंध में निर्गत शासनादेश संख्या- 1682/52- 3-07-□□(4)/07टी0□□0 दिनांक 26 सितम्बर, 2007 □□□ □□धित शासनादेश संख्या- 2363/52-3-08-□□(4)/07टी0□□0 दिनांक 31.10.2008 तथा शासनादेश संख्या- 5308/52-3-09-□□(4)/07टी0□□0 दिनांक 21.10.2009 में निर्गत दिशा- निर्देशों तथा समय-स□□ □□ निर्गत अन्य नियमों/शासनादेशों के अन्तर्गत समस्त औपचारिकताओं का अनुपालन सुनिश्चित करते हुये नियमानुसार किया जायेगा।

4- आवेदकों का चयन निर्धारित मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुये किया जायेगा।

5- उक्त स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष व्यय धनराशि का विवरण शासन को प्रत्येक 04 माह पर तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र माह मार्च, 2017 की समाप्ति पर शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

6- □□□□□ □□ □□□□ (एलाॅॅटमेन्ट मात्र) किसी प्रकार के व्यय करने का अधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य □□□□/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

2. उपरोक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय व्ययक के अनुदान संख -48 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-2225-अनुसूचित जातियों, □□□□□यों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का क - 80-सामान्य-800- □□□□□□□-अन्य व्यय-03-अल्पसंख्यकों का कल्याण -0304-अल्पसंख्यक समुदाय के निर्धन/गरीब अभिभावकों की पुत्री के विवाह हेतु अनुदान-20- □□□□□ □□□□-सामान्य (□□ □□□) □□□□□□□□ □□□□□

1- □□ □□□□□ इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: □स पर हस्ताक्षर की आवश्यकत□ नहीं □□

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

3. यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख -1/2016/□□-1-746/□□-2016-231/2016, दिनांक 22.03.2016 के प्रस्तर-2(4) में प्रदत्त निर्देशों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(श्रीप्रकाश सिंह)
□□□

संख्या-1145(1)/52-3-16-तददिनांक।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1-□□□□□□□□ (लेखा परीक्ष) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0, □□□□□□□□

2-□□□□□□□□ (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, □0प्र0, □□□□□□□□

3-मुख्य कोषाधिकारी, के□□□□□, □□□□□

4-कोषाधिकारी, □□□□□ □□□, □□□□/वित्त एवं लेखाधिकारी, अल्पसंख्यक कल्याण □□□□□□, □0प्र0 □□□□□

5-रजिस्ट्र , □0प्र0 मदरसा शिक्षा परिषद, 704, □□□□□ □□□, □□□□□

6-अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-1

7- कम्प्यूटर आपरेटर, अल्पसंख्यक कल्याण अनु0-3 को अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की वेब साइड पर अपलोड करने हेतु।

आज्ञा से,

(जय प्रकाश पाण्डेय)
विशेष कार्याधिकारी

1- □□ □□□□□□ इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: □स पर हस्ताक्षर की आवश्यकत□ नहीं □□

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

http://shasanadesh.up.nic.in

1- □□ □□□□□□ इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: □स पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं □□

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।